179

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–62–एक / 2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–12–2001 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–540 / अपील / 2000–01

.....

श्री साधू पुत्र विश्राम केवट
निवासी–ग्राम कैथी पचकठा
तहसील त्यौंथर, जिला–रीवा (म0प्र0)

———आवेदक

विरूद्ध

1– श्री संतोष कुमार पुत्र रामदास केवट

2– मुस0 सुकवरिया बेवा रामदास केवट

निवासीगण–ग्राम गुरगुदा तहसील त्यौंथर (म0प्र0)
जिला – रीवा

———अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 24/10/14 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–12–2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत कैथी पंचकटा, विकास खण्ड त्यौंथर के समक्ष ग्राम कैथी पंचकठा स्थित

खसरा क्रमांक 86 रकबा 0.65 एकड़, खसरा क्रमांक 272 रकबा 3.68 एकड़, खसरा क्रमांक 378 रकबा 0.05 एकड़ एवं खसरा क्रमांक 403 रकबा 0.36 एकड़ की विवादित भूमि का बटवारा किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । सरपंच ग्राम पंचायत कैथी पंचकटा, विकास खण्ड त्यौंथर द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 7 दिनांक 19.09.1999 से आवेदक के पक्ष में बटवारा नामांतरण एवं वारिसाना नामांतरण स्वीकार किया गया । सरपंच ग्राम पंचायत के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी त्यौंथर के समक्ष पेश की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 03.07.2001 से अपील स्वीकार की तथा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की। जहॉ अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 540/अपील/2000–01 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 12.12.2001 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा तथा प्रस्तुत अपील निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत ने दिनांक 19.09.1999 से एक साथ बटवारा नामांतरण एवं वारिसाना नामांतरण का आदेश दिया गया, जो कि विधि के विपरीत है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि नामांतरण के समय विवादित भूमि खसरा क्रमांक 272 के मूल भूमिस्वामी रामदास केवट थे। रामदास केवट की मृत्यु के पश्चात् उसके विधिक वारिसान अनावेदकगण है। सरपंच ग्राम पंचायत ने एक साथ बटवारा नामांतरण एवं वारिसाना नामांतरण का आदेश वादग्रस्त भूमि के संबंध में बिना किसी ठोस प्रमाण के पारित किया है। आवेदक का नाम खसरा क्रमांक 272 के नामांतरण का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि के मूल भूमिस्वामी तो स्व0 रामदास केवट

है और रामदास के विधिक वारिस तो अनावेदकगण है। प्रकरण के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण, विवादित प्रकरण की श्रेणी में आता है, जो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को अविवादित नामांतरण संबंधी प्रकरणों में कार्यवाही के अधिकार दिये गये और ऐसी कार्यवाही करते समय ग्राम पंचायत द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 119 एवं 110 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि राजस्व अधिकारी को प्रदत्त शक्तियां है। ऐसे स्थिति में सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा की गई नामांतरण की कार्यवाही विधिक प्रक्रिया के विपरीत है। अनावेदकगण की मुख्य आपत्ति खसरा नम्बर 272 के नामांतरण के संबंध में थी, क्योंकि इसी खसरा नम्बर का नामांतरण आवेदक के नाम किये जाने का कोई आधार ही नहीं था। अनावेदकगण ने इसी खसरा नम्बर के नामांतरण से असन्तुष्ट होकर ही अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय ग्राम पंचायत के आदेश को चुनौती देते हुये अपील प्रस्तुत की है और अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.1999 को निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में पूर्ण विवेचना कर की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 03–07–2001 एवं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 12–12–2001 न्यायासंगत होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,